न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री विश्राम मीना, आई.ए.एस

अपील संख्याः 35/2020 एल.आर.एक्ट GCMS No. 2020/00087

1. महावीर प्रसाद देरासरी पुत्र श्री किशनलाल जाति देरासरी ब्राहम्ण निवासी वार्ड संख्या 18 पुराना, नया संख्या 13 कस्बा सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज)

– अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़।
2. मनोज कुमार पुत्र मदन लाल जाति खाली नि. वार्ड नं 6 कस्बा सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

– रेस्पोन्डेंट

उपस्थितः श्री विनोद कुमार पुरोहित अभिभाषक अपीलांट
श्री राजकीय अभिभाषक अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1

निर्णय

दिनांक 09.12.2025

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 19.12.2011 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– वादगत भूमि ग्राम ढ़ाढियावाली के खसरा नंबर 11/2 में 26.02 बीघा भूमि आरजी काश्त पर महावीर प्रसाद देरासरी पुत्र किशनलाल देरासरी के नाम से आवंटन शुदा थी। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ के समक्ष एक प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरकारी सेवा में कार्यरत ग्राम सेवक के नाम से आरजी काश्त पर आंवटित कृषि भूमि को खारिज फरमावें। अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ ने उक्त प्रकरण में निर्णय करते हुए तहसीलदार सूरतगढ़ द्वारा अपीलांट के पक्ष में किए गए आवंटन को निरस्त

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

किये जाने को यथावत रखा और उक्त वादगत भूमि का कब्जा वहक राज्य सरकार लेने के आदेश पारित किए। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ के अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.12.2011 से व्यथित होकर अपीलांट्स ने न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ के समक्ष अपील प्रस्तुत की। राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप–6) विभाग की अधिसूचना नं. 1(17) राजस्व'6/2019/112 दिनांक 17.10.2019 के द्वारा क्षेत्राधिकार परिवर्तन होने से यह पत्रावली इस न्यायालय में सुनवाई में ली गई है।

2– विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया है कि अपीलांट को सन 1987 में तत्कालीन तहसीलदार सूरतगढ़ के ग्राम ढाढीयावाली के खसरा नंबर 11/2 में 26.02 बीघा बारानी रकबा आरजी काश्त रकबा का भौतिक कब्जा काश्त अपीलांट के पास चला आ रहा हैं। अपीलांट एवं उसके परिवार के सदस्यों ने कड़ी महनत करके एवं धन खर्च करके उक्त भूमि को काबिल काश्त बनाया है। अपीलांट के परिवार के पालन पोषण का मुख्य साधन यही रकबा है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा नियम 14 सन 1970 एवं धारा 11–14 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम के अन्तर्गत पारित किया गया आदेश है। अपीलांट का निवेदन है कि अपीलांट के विरूद्ध उक्त नियमों के तहत कोई आरोप बनते ही नही है और नाही उक्त नियम प्रार्थी के रकबा पर लागू होते है। अपीलाधीन आदेश में कही भी यह प्रमाणित नही हो सका है कि अपीलांट ने वादगत भूमि को आवंटन करवाते समय कोई महत्वपूर्ण तथ्य छिपाया हो। उक्त वादगत भूमि बारानी भूमि है वरसात होने पर ही कुछ पेदावार हो सकती है, परन्तु सन 1987 के समय में लगातार सूरतगढ़ में आकाल पढते रहे हैं। अपीलांट परिवार के पालन का अन्य कोई साधन भी नही था, इसलिए अपीलांट को सन 2000 में ग्राम सेवक की अल्प आय की नौकरी करनी पड़ी थी, परन्तु अपीलांट व उसकी पत्नी व उसके बच्चे उक्त भूमि को स्वंय काश्त करते रहे है। एक अन्य प्रकरण संख्या 5/2000 अनवान राजस्थान सरकार बनाम नत्थूराम व अन्य के आदेश दिनांक 9.7.2001 में अपीलांट अप्रार्थी नंबर 2 एक पक्षकार था। उस निर्णय में धारा 11–14 की कार्यवाही दोनों पक्षों को सुनकर बन्द की गई थी। वह आदेश आज भी प्रभावी है। इसलिए कानूनन पुनः इसी विन्दू पर धारा 11–14 की कार्यवाही दायर ही नही की जानी चाहिए थी।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

अपीलाधीन आदेश में यह आरोप लगाया गया है कि अपीलांट को आवंटित खसरा नंबर 11/2 में 26.02 बीघा भूमि पर कब्जा नही है, यह आरोप भी रिकॉर्ड में विपरीत दर्ज किया हुआ होने के कारण निरस्त योग्य है। दिनांक 22.08.1996 को हल्का पटवारी किशनपुरा ने स्पष्ट रिपोर्ट की है कि अपीलांट खसरा नंबर 11/2 में 26.02 बीघा भूमि पर काबिज है और उसी रिपोर्ट के निचे तहसीलदार साहब ने आदेश प्रदान किया है। अपीलांट के पक्ष में उक्त वादगत भूमि का रकबा विधिवत काबिज होने पर ही गंगानगर केन्द्रीय बैंक लि. शाखा सूरतगढ के द्वारा अपीलांट को ऋण भी स्वीकार किया गया है यह भौतिक कब्जा काश्त का सबसे प्रमुख प्रमाण है। अपीलांट को खसरा नंबर 11/2 में दिनांक 21.01.1992 को राशर्त यह आवंटन स्वीकार हुआ है। अपीलांट को इस आवंटन से पूर्व में खसरा नबंर 18,19,21 का जो आवंटन किया हुआ है, को हटाया गया है। इस अधिनस्थ न्यायालय ने तत्कालिन तहसीलदार साहब के आदेश दिनांक 21.01.1992 को राही ढंग से ना समझकर कानूनी भूल की है। इसलिए अपीलाधीन आदेश वास्तविकता के विपरित पारित हुआ होने के कारण निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जावे एवं अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून, खिलाफ रिकॉर्ड, खिलाफ न्याय के सिद्धान्तों के पारित हुआ होने के कारण निरस्त फरमाया जावें। अपीलांट के पक्ष में आरजी आंवटित रकबा पूर्ववत स्वीकार एवं कार्य रखे जाने की आज्ञा प्रदान की जावें।

3— विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया है कि उक्त वादगत भूमि खसरा नंबर 11/2 राजस्व रिकॉर्ड में घग्घर फल्ड आरक्षित सिंचाई विभाग के नाम दर्ज है। उक्त खसरे की गिरदारी में अपीलांट के नाम काश्त दर्ज नही है। तहसीलदार सूरतगढ़ ने अपने आदेश दिनांक 21.01.1992 से आवंटी का नाम खसरा नंबर 18, 19, 21 से हटा दिया तथा उसे खसरा नंबर 11/2 की भूमि में टीसी का नवीनीकरण किया। तहसीलदार उक्त खसरे को आंवटित करने में सक्षम नही था। अपीलांट सन 2000 से ग्राम सेवक के पद पर राजकीय सेवा में कार्यरत है। इस प्रकार अप्रार्थी सद्भावी काश्तकार नहीं है। इस कारण अपील अपीलांट निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलांट निरस्त की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय यथावत रखा जावे।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

4— हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज तथा अधीनस्थ न्यायालय के उपलब्ध अभिलेख का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया एवं बहस उभय पक्ष पर मनन किया। अपीलांट को खसरा नंबर 11/2 की 26.02 बीघा भूमि दिनांक 21.01.1992 का नवीनीकरण स्वीकार हुआ था और अपीलांट की सरकार सेवा में नियुक्ति 21.03.2000 को हुई। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय धारा 11—14 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम के अन्तर्गत पारित किया गया है उक्त धारा तथ्य छिपाकर आवंटन करवाने पर लागू होती है। परन्तु अपीलांट ने किसी प्रकार के तथ्यों छिपाकर आवंटन करवाया हो यह रेस्पोडेन्ट साबित नही कर सका है। अतः उपरोक्त परिपेक्ष्य में अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ का अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.12.2011 निरस्त किया जाता है तथा उक्त प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित(Remand) किया जाता है कि अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ को उक्त प्रकरण में संबंधित सभी पक्षों को सुनकर एवं दस्तावेजों की पूर्ण जांच कर विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

5— तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावें। निर्णय आज दिनांक 09.12.2025 का लिखिवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विश्राम मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर